न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री / टीए / 1344 / 2005 / नागौर

1– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नागौर, जिला नागौर।

–अपीलांट

बनाम

1– मांगीलाल पुत्र घीसाराम मृतक जरिए विधिक वारिसानः–

1 / 1– चम्पालाल पुत्र मांगीलाल

1 / 2– सूरजाराम पुत्र मांगीलाल

उक्त दोनों जाति जाट निवासी चरडा तहसील खींवसर, जिला नागौर।

1 / 3– जमना पुत्री मांगीलाल पत्नी राजूराम जाट निवासी भाकरोद तहसील व जिला नागौर।

2– हरसुखराम पुत्र घीसाराम मृतक जरिए विधिक वारिसानः–

2 / 1– कंवराई बेवा हरसुखराम

2 / 2– पूनाराम पुत्र हरसुखराम

2 / 3– रामनिवास पुत्र हरसुखराम

2 / 4– किशोर पुत्र हरसुखराम

समस्त जाति जाट निवासी चरडा तहसील खींवसर जिला नागौर।

2 / 5– बाया पत्नी राजूराम पुत्री हरसुखराम निवासी खरनाल तहसील व जिला नागौर।

3– सुवा पुत्री घीसाराम पत्नी अमराराम जाति जाट निवासी खोड़वा तहसील व जिला नागौर।

4– सीता पुत्री घीसाराम पत्नी हीराराम जाति जाट निवासी खोड़वा तहसील व जिला नागौर।

5– अणचाई पुत्री घीसाराम पत्नी स्वरूपराम जाति जाट निवासी धारयावास तहसील व जिला नागौर।

6– जंवरी पुत्री घीसाराम पत्नी बनाराम जाति जाट निवासी खोडवा तहसील व जिला नागौर।

7– जीवनराम पुत्र गुणाराम जाति भांबी निवासी माणकपुर तहसील व जिला नागौर।

8– मकूडी बेवा बीजाराम जाति भांबी निवासी डेहरू तहसील व जिला नागौर।

9– नेनूराम पुत्र पूसाराम

10– दुर्गाराम पुत्र पूसाराम

11– रामचन्द्र पुत्र पूसाराम

12– शिवराम पुत्र पूसाराम

समस्त जाति भांबी निवासी माणकपुर तहसील व जिला नागौर।

–रेस्पोडेंटस

उपस्थितः–

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0 राजकीय अधिवक्ता।
श्री ईश्वर देवड़ा एवं श्री शंकर लाल जाट, अधिवक्ता रेस्पो0

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

निर्णय

दिनांकः– 30.10.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 179/2003 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं ।

2– अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, नागौर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा संख्या 475 रकबा 35 बीघा 9 बिस्वा जिसके नए खसरा संख्या 553 रकबा 30 बीघा 8 बिस्वा है जो कि ग्राम माणकपुर तहसील नागौर में स्थित है। उक्त भूमि प्रारंभ से रेस्पो0 संख्या 8/प्रतिवादी संख्या 1 गुणिया के बंट व कब्जे काश्त की भूमि थी। जिसने यह भूमि राजाराम पुत्र हणुतराम जाट निवासी माणकपुर को बेचान करके कब्जा

सौंप दिया था तथा राजाराम ने यह खेत संवत् 2008 में वादीगण को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। तभी से उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा लगान अदा करते चले आ रहे हैं । राज0काश्त0अधि0 1955 के लागू होने के समय वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हो गए किंतु भू–प्रबंध ने इस भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व उसके भाई पूसाराम की खातेदारी में दर्ज कर दिया, जबकि आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा धारा 145 सीआरपीसी के तहत कब्जा भी वादीगण का ही माना गया है। अंत में वाद को डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद में उठाए गए कथनों से इंकार किया तथा वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2003 द्वारा वादीगण का वाद खारिज किया। जिससे व्यथित होकर वादीगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष पेश की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2004 द्वारा स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपीलांट राजस्थान सरकार ने जरिये तहसीलदार धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति सहित माननीय मण्डल न्यायालय के समक्ष यह द्वितीय अपील पेश की।

3– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2004 राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 42–बी एवं लोकनीति जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, के विपरीत होने से राज्य सरकार के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । इस कारण वे प्रभावित पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ ही धारा 5 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा रेस्पो0/वादीगण के वाद को डिक्री किया तथा यह डिक्री धारा 42 बी राज0काश्त0अधि0 व लोकनीति के विपरीत है तथा उक्त निर्णय एवं डिक्री के

विरूद्ध सहायक कलक्टर, नागौर ने अपने आदेश दिनांक 27.12.2004 द्वारा तहसीलदार, नागौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए अपील दायर करने का आदेश दिया, जो तहसीलदार को प्राप्त हो गया। किंतु माह जनवरी एवं 15 फरवरी 2005 तक पंचायत के चुनाव होने के कारण एवं बाद में सरपंचों के चार्ज लेने–देने में व अकाल राहत कार्यों में प्रभारी अधिकारी व्यस्त रहें तथा उक्त कार्य से निवृत्त होकर बिना विलंब किए यह अपील पेश की गई है। अतः अपील पेश करने में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावें।

6– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0/वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया था कि राजाराम पुत्र हुणताराम को प्रतिवादी संख्या 1 गुणिया ने भूमि का बेचान कर दिया था तथा राजाराम ने उक्त भूमि संवत् 2008 में 140/–रूपये में वादीगण/रेस्पो0 के पिता घीसाराम को बेचान करके कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से उनका कब्जा काश्त बतौर टिनेन्ट चला आ रहा है किन्तु उसके द्वारा अपने इस कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह सिद्ध होता हो कि आराजी का बेचान किया गया हो। न तो कोई बेचान पत्र प्रस्तुत हुआ, न ही कोई अन्य दस्तावेज पेश हुआ। अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि राज0काश्त0अधि0 1955 लागू होने के समय रेस्पो0/वादी आराजी पर कब्जा काश्त बतौर टीनेन्ट नहीं था। इस कारण उसे राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अनुसार कोई खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं होते हैं किंतु अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। रेस्पो0/वादीगण स्वर्ण जाति के व्यक्ति है तथा रेस्पो0 संख्या 8 लगायत 13 जो कि वाद में प्रतिवादीगण थे, अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। इस कारण धारा 42 बी राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अनुसार कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है, फिर भी इस तथ्य को अनदेखा करते हुए अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है।

अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 / वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में एडवर्स पजेशन से खातेदारी अधिकार प्राप्त होने बाबत् कोई कथन अंकित नहीं किया था और ना ही अधी0न्याया0 ने एडवर्स पजेशन के बाबत् कोई तनकी बनाई थी किन्तु अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों से विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2004 को निरस्त किया जावें तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2003 को यथावत् रखा जावे।

7— विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट राज्य सरकार अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पक्षकार नहीं थे जिससे अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है एवं ना ही अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री से राज्य सरकार के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । ऐसी स्थिति में अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है । धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र पर बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है तथा विलंब के जो कारण अंकित किये है वे भी उचित एवं सद्भाविक नहीं है । अतः अपील मियाद बाहर पेश किये जाने के आधार पर भी खारिज योग्य है ।

8— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है ।

9— अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 में अंकित किया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने अपना निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06. 2004 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42—बी में प्रावधित प्रावधानों को नजरअंदाज कर पारित किया है । चूंकि रेस्पो0 / वादीगण ने राज्य सरकार को अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पक्षकार संयोजित नहीं किया था जिससे अपीलांट राज्य सरकार अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सकी थी । विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 533 रकबा 30 बीघा 8

बिस्वा पूर्व में रेस्पो0 जो कि जाति से भांबी होकर अनुसूचित जाति के सदस्य है, इस भूमि बाबत् राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा वादीगण को खातेदारी प्रदान की गई है जो कि स्वर्ण जाति के है । अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों की भूमि की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार का है । ऐसी स्थिति में अपीलांट हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है । तथा अपीलांट को राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10— जहां तक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 में अंकित कथनों का प्रश्न है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि की खातेदारी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को दी गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा राज्य सरकार जो कि आवश्यक पक्षकार है उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट को तत्समय होना नहीं माना जा सकता है । प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं संतोषप्रद प्रतीत होते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11— प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0संख्या 1 लगायत 7 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0कातश0अधि0 1955 के तहत मृतक घीसाराम के वारिस रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 व रेस्पो0 संख्या 7 ने वर्तमान रेस्पो0 संख्या 8, 10 से 13/प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर 475 रकबा 35 बीघा 9 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 533 रकबा 30 बीघा 8 बिस्वा बने है, जो ग्राम माणकपुर, तहसील नागौर में स्थित है । उक्त भूमि प्रारंभ से रेस्पो0 संख्या 8 गुणिया के बंट व कब्जे काश्त की भूमि थी जिसने यह भूमि राजाराम पुत्र हणुताराम जाट को बेचान करके कब्जा सौंप दिया था और राजाराम जाट ने यह खेत संवत् 2008 में 140/—रू0 में वादीगण को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । राज0काश्त0अधि0 1955 लागू होने के समय से वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हो गये है किन्तु भू—प्रबंध के समय विवादित भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व उसके भाई पूसाराम की खातेदारी में

दर्ज कर दिया है । अतः वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विचारण ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया । तत्पश्चात् विचारण न्यायालय में पक्षकारान द्वारा दिनांक 09.06.1982 को राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया । तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2003 के द्वारा वादीगण का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 533 रकबा 30 बीघा 8 बिस्वा भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि है जिसकी विधिनुसार स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है । विचारण न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह भी अंकित किया है कि संवत् 2008 में विवादित आराजी वादीगण ने प्रतिवादीगण से खरीद किया है तो संवत् 2010 से 2017 में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में कैसे रहा यह स्पष्ट नहीं किया गया है ।

12— विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.06.2004 के द्वारा वादीगण की अपील को स्वीकार कर वाद डिक्री किया है । अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय का मुख्य आधार यह लिया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा दिनांक 09.06.1982 को हो गया तथा रेस्पो0 ने वाद की ताईद की व अपना कोई अधिकार इस भूमि पर न होना स्वीकार किया है । इसके अतिरिक्त विवादित भूमि पर वादीगण संवत् 2008 से निरन्तर काबिज है । अपीलीय न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार माना है ।

13— इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श—2 नकल खतौनी संवत् 2010 से 2013 एवं 2014 स 2017 में साबिक खसरा नंबर 475 रकबा 35 बीघा 9 पुसीया, गुणिया पि0 पुरा भाम्बी के नाम खातेदारी से दर्ज है । तत्पश्चात् संवत् 2018 से 2021 में उक्त खसरा नंबर घीसा पुत्र खेता जाट के नाम खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श—4 खेवट खतौनी संवत् 2033 से 2036 में विवादित भूमि खसरा नंबर 553 रकबा 30 बीघा 8 बिस्वा भूमि नेनाराम, दुर्गाराम, चन्द्राराम, सीवराम पि0 पुसाराम, गणेशराम वल्द

पुराराम कौम भाम्बी सा0देह खातेदार का इंद्राज है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रारंभ से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम खातेदारी से दर्ज रही है । वादीगण ने विवादित भूमि 140/–रू0 के प्रतिफल पर प्रतिवादीगण से क्रय करना बताया है किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । विधिनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य की आराजी का विक्रय, हस्तातंरण स्वर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता है । यदि विक्रय पत्र को मान भी लिया जावे तो भी तथाकथित विक्रय पत्र 140/–रू0 का होने भी विधि मान्य नहीं है क्योंकि 100/–रू0 से अधिक की सम्पति के दस्तावेज का पंजीयन करवाया जाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त अपीलीय न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे को भी वादीगण को खातेदारी प्रदान करने का आधार माना है । इस संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णयों में यह मत प्रतपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है । अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों तथा विधिक सिद्धांतों तथा राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 42–बी को नजरअदांज कर वादीगण/रेस्पो0 की अपील स्वीकार करने में विधिक त्रृटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

12– परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2004 निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलक्टर (मुख्यालय), नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2003 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष